हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2017/00157
6/3/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ -------20/3/18---------को। पेश हो।
20/3/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ -------28/3/18-------को पेश हो।
28/3/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज............................ के कारण कार्य .... रखा है। अतः पूर्ववत .... 17/4/18 को पेश हो। अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर लें।
17/4/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-4/5/18------- को पेश हो। प्रकरण पत्रावली दि० 11/6/18 को कैम्प सारोला में पेश हो।
11/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प सारोला में पेश हुई। वादी उपस्थित, वादी नें मजमें आम में उपस्थित होकर कथन किये कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 की संयुक्त खातेदारी आराजी वाके ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद में ख0नं0 226 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 251 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 514 रकबा 1.06 हे0, ख0नं0 533 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 557/546 रकबा 0.17 हे0 कुल किता 5 रकबा 2.95 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि वादी नं0 1 के पिता मोतीलाल के नाम दर्ज थी, मोतीलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के शामलाती रूप से दर्ज की गयी। किन्तु मोतीलाल का वादी नं0 1 एकमात्र पुरुष वारिस है इस कारण वादी ही बहैसियत खातेदार उक्त भूमि ...
कैशीलाल	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2017/0157	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मोतीलाल के वादी नं0 1 के अलावा अन्य कोई पुरूष वारिस नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 मोतीलाल की पुत्री है तथा ससुराल में निवास करती है। पक्षकारान् जाति से मीणा है जो अनुसूचित जन जाति में आती है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और मीणा जाति में पुरूष वारिस मौजूद रहते हुये लडकियां का भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है और पत्नी को केवल उपयोग व उपभागे करनें का ही अधिकार होता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 का नाम विवादित आराजी में से डिलीट किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया। प्रतिवादी नं0 1 अनुपस्थित है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी नं0 1 अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है। मजमें आम में जानकारी करनें पर ज्ञात हुआ कि मोतीलाल के एक पुत्र वादी एवं एक पुत्री प्रतिवादी नं0 1 है तथा मोतीलाल की बेवा वादी नं0 2 भी जीवित है। राजस्व रिकॉर्ड में तीनों व्यक्तियों का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। चूंकि पक्षकारान् मीणा जाति से है तथा जब तक प्रतिवादी नं0 1 अपनें स्वत्व वादीगण के पक्ष में रिलीज नहीं कर देती है या स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र आलेखित नहीं कर देती है तब तक प्रतिवादी नं0 1 की बिना सहमति से उसका नाम हटाया जाना उचित नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	